



1  
(दांडिक अपील संख्या 366 और 372/2018)

AFR

## छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 366/2018

- अजीत सिंह कंवर पिता श्री समारु सिंह कंवर, आयु लगभग 20 वर्ष,  
निवासी - बल्गी बीच गली, पुलिस थाना बांकीमोगरा, तहसील कोरबा,  
जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

-----अपीलार्थी

**बनाम**

- छत्तीसगढ़ राज्य,  
द्वारा आरक्षी केन्द्र बांकीमोगरा,  
जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादी

एवं

दांडिक अपील संख्या 372 / 2018

1. मनोज सोनी पिता प्रभाकर सोनी, आयु 24 वर्ष
2. मोनू उर्फ गजपति सोनी पिता प्रभाकर सोनी आयु 19 वर्ष,  
दोनो निवासी बांकीमोगरा तहसील कोरबा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

-----अपीलार्थी

**विरुद्ध**

- छत्तीसगढ़ राज्य,  
द्वारा आरक्षी केन्द्र बांकीमोगरा,  
जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

-----उत्तरवादी

अपीलार्थी के लिए :-- श्री आदित्य खरे, अधिवक्ता

(दांडिक अपील क्रमांक 366/2018)

अपीलार्थी के लिए :-- श्री सरफराज खान, अधिवक्ता

(दांडिक अपील क्रमांक 372/2018)

उत्तरवादी/राज्य के लिए :-- श्री शरद मिश्रा, पैनल अधिवक्ता

खंडपीठमाननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवालमाननीय श्री न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसादबोर्ड पर आदेश

निर्णय दिनांक [17.10.2024]

संजय के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

1. इस न्यायालय के आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वर्तमान दो दांडिक अपीलों, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 374(2) के तहत, तीन अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई हैं, जिनमें से ए-1 मनोज सोनी और ए-2 मोनू उर्फ गजपति सोनी ने दांडिक अपील संख्या 372/2018 दायर की है, और ए-3 अजीत सिंह कंवर ने दांडिक अपील संख्या 366/2018 दायर की है, जो कि विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जिला कोरबा (विचारण न्यायालय) द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रं 03/2017 में दिनांक 22.2.2018 को पारित किए गए निर्णय की वैधता, सत्यता और शुद्धता को चुनौती देते हैं।

2. उपरोक्त विवादित निर्णय दिनांक 22.2.2018 के द्वारा, तीनों अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा०द०सं०') की धारा 147, 148 और 302/149 के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया और उन्हें धारा 147 भा०द०सं० के तहत 06 महीने के कठोर कारावास और 100/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम की स्थिति में 15 दिन के अतिरिक्त कठोर कारावास के दंड से तथा धारा 148 भा०द०सं० के तहत 01 वर्ष के कठोर कारावास और 200/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम की स्थिति में 01 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास के दंड से तथा धारा 302/149 भा०द०सं० के तहत आजीवन कारावास और 5000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम की स्थिति में 06 महीने के अतिरिक्त



कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जबकि सह-अभियुक्त ए-4 नवीन कश्यप को उक्त सभी अपराधों से दोषमुक्त कर दिया गया।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 25.11.2016 को लगभग 8:00 बजे शाम को, शांतिनगर, बल्ली, पुलिस स्टेशन बांकीमोंगरा में, यहां के तीन अपीलार्थी ए-1 मनोज, ए-2 मोनू और ए-3 अजीत ने अन्य सह-अभियुक्तों ए-4 नवीन कश्यप (जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया) तथा एक विधि के साथ संघर्षरत बालक के साथ मिलकर एक विधिविरुद्ध जमाव बनाया और उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में दंगा किया और बन्माली उर्फ बनवारी (मृतक) की यह जानते हुए कि मृतक बन्माली अनुसूचित जनजाति का सदस्य था उसे चाकू, ईंट और पत्थरों से हमला कर, मृत्यु कारित किया।

4. अभियोजन का मामला यह है कि अ०सा०-9 केदार साहू ने सबसे पहले इस घटना के बारे में अ०सा०-11 इतवार सिंह, मृतक बन्माली के पिता को सूचित किया, जिन्होंने घटना के लगभग 1½ घंटे बाद, जो कि लगभग 8:00 बजे शाम को हुई थी, पुलिस स्टेशन बांकीमोंगरा, जिला कोरबा में 9:30 बजे शाम को एफ०आई०आर० (प्र०पी०-38) दर्ज कराई। बाद में, मर्ग सूचना (प्र०पी०-36) दर्ज की गई। अपराध विवरण फॉर्म (प्र०पी०-39) अ०सा०-15 एस.के. पाठक, जांच अधिकारी द्वारा तैयार किया गया और नजरी नक्शा (प्र०पी०-12) अ०सा०-5 छत्रपाल सिंह मरावी, पटवारी द्वारा तैयार किया गया। मृतक का इन्क्वेशट (प्र०पी०-14) किया गया तथा शव का पोस्टमार्टम अ०सा०-12 डॉ. आर.एस. कंवर द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्र०पी०-40) में मृत्यु का कारण हेमोरेजिक शॉक और मृत्यु की प्रकृति हत्या बताई। मौके से खून से सने मिट्टी, सादी मिट्टी, एक खून से सना पत्थर, चार खून से सनी ईंटें और एक करिज्मा मोटरसाइकिल को प्र०पी०-16 के तहत जप्त किया गया। इसी तरह, दो शर्ट और एक जैकेट को भी मौके से प्र०पी०-17 के तहत जप्त किया गया। गवाहों के बयान सी०आर०पी०सी० की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। ए-1 मनोज का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०-18 के तहत दर्ज किया गया,



जिसके आधार पर, खून के धब्बों से सनी एक फूल शर्ट को प्र०पी०-22 के तहत जप्त किया गया। इसी तरह, ए-2 मोनू उर्फ गजपति के मेमोरेण्डम कथन (प्र०पी०-19) के आधार पर, खून के धब्बों से सनी एक पूरी शर्ट और पैंट को प्र०पी०-23 के तहत जप्त किया गया। इसी प्रकार, ए-3 अजीत के मेमोरेण्डम कथन (एक्स.20) के आधार पर, खून के धब्बों से सनी एक शर्ट और जींस पैंट को एक्स.24 के तहत जप्त किया गया। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ०एस०एल०) रिपोर्ट (प्र०पी०-66) के अनुसार, मौके से जप्त किए गए पत्थर (एक्स. सी) और ईंटों (एक्स. डी) पर तथा ए-1 मनोज की शर्ट (एक्स. एच), ए-2 मोनू उर्फ गजपति की शर्ट (एक्स. आई) और ए-3 अजीत की शर्ट (एक्स. के) और पूरी पैंट (एक्स. एल) पर मानव रक्त पाया गया और सीरोलॉजी परीक्षण में, मृतक बन्माली की टी-शर्ट (एक्स. ई) और ए-3 अजीत की फूल पैंट (एक्स. एल) पर 'ओ' ब्लड ग्रुप पाया गया।

5. अन्वेषण पूरी होने पर तीन अपीलार्थियों और सह-अभियुक्त नवीन कश्यप (जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया) के विरुद्ध, विधि के साथ संघर्षरत बालक को छोड़कर, जिसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने अभियोग पत्र का संज्ञान लिया तथा प्रकरण, विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से, सत्र न्यायालय को विचारण हेतु उपार्पित किया गया। अभियुक्त सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जहां उनके विरुद्ध आरोप विरचित किए गए, जिन्हें अभियुक्त ने इंकार किया तथा विचारण चाहा।

6. प्रकरण के दौरान अपने मामले को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों प्र०पी०-1 से प्र०पी०-17 तक का परीक्षण किया और 66 दस्तावेजों को प्र०पी०-1 से प्र०पी०-66 तक के रूप में प्रदर्शित किया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद, सभी अभियुक्तों के कथन दं०प्र०सं० की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिनमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में उनके विरुद्ध आये परिस्थितियों से इंकार किया, निर्दोष होना व्यक्त किया तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। बचाव में, चार दस्तावेजों को एक्स. डी-1 से एक्स. डी-4 के रूप में प्रस्तुत किया गया।



7. विचारण की समाप्ति के पश्चात, विचारण न्यायालय ने प्रकरण में आये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 22.2.2018 के निर्णय द्वारा, ए-4 नवीन कश्यप को सभी अपराधों से दोषमुक्त करते हुए, यहां के अपीलार्थियों ए-1 मनोज, ए-2 मोनू और ए-3 अजीत को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध से दोषमुक्त कर दिया तथा भा०द०सं० की धारा 147, 148 और 302/149 के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और उन्हें इस निर्णय के प्रारंभिक कंडिका में दिए गए चार्ट में उल्लिखित सजा सुनाई, जिसके कारण यहां के अपीलार्थियों ने सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देते हुए अलग-अलग ये दो अपीलें दायर कीं।

8. दांडिक अपील संख्या 372/2018 में ए-1 मनोज और ए-2 मोनू की ओर से अधिवक्ता श्री सरफराज खान ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:

(1) अ०सा०-6 शत्रुघन और अ०सा० -10 संतारा बाई, जो मृतक बनवारी के भाई और बहन हैं, उन्होंने केवल यह कहा है कि उन्होंने अपीलार्थियों को मौके से भागते हुए देखा था इसलिए, उन्हें अधिकतम एक ही संव्यवहार के गवाह माना जा सकता है और ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर, बिना किसी अन्य साक्ष्य के, अपीलार्थियों को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

(2) अ०सा०-11 इतवार सिंह, मृतक बनवारी के पिता, घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं और वे घटना के बाद मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि उनके अनुसार, उन्हें अ०सा-9 केदार साहू ने घटना के बारे में सूचित किया था, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। अ०सा-11 इतवार सिंह एक संबंधित गवाह हैं और उन्होंने अपने बयान में सुधार किया है, क्योंकि अपराध विवरण फॉर्म (प्र०पी०-39) में उन्हें अपीलार्थियों को मौके से भागते हुए देखने वाले के रूप में दिखाया गया है और नजरी नक्शा (प्र०पी०-12) में भी यह नहीं दिखाया गया है कि उन्होंने किस स्थान पर अपीलार्थियों को मृतक बनवारी को चोट पहुंचाते हुए देखा था। एफआईआर (प्र०पी०-38) अ०सा०-11 इतवार सिंह द्वारा दर्ज कराई गई



थी और एफ०आई०आर० में उन्होंने केवल यह कहा था कि उन्होंने अपीलार्थियों को मौके से भागते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि अपीलार्थियों ने मृतक को चोट पहुंचाई थी। इस प्रकार, महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप, जो प्रकरण की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 11 के तहत सुसंगत हैं और ऐसे महत्वपूर्ण लोप और विरोधाभासों के कारण, अ०सा०-11 इतवार सिंह के कथनों पर अपीलार्थियों को भा०द०सं० की धारा 302/149 के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः संदेह का लाभ प्रदान करते हुए अपीलार्थियों को सभी अपराधों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

9. दांडिक अपील क्रं 366/2018 में ए-3 अजीत की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री आदित्य खरे ने ए-1 मनोज और ए-2 मोनू के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार किया और ए-3 अजीत सिंह को भी संदेह का लाभ देते हुए सभी अपराधों से दोषमुक्त करने की मांग की।

10. उत्तरवादी/राज्य के लिए पैनल उपस्थित अधिवक्ता श्री शरद मिश्रा ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में सक्षम रहा है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए यहां के अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई दोनों अपीलों को खारिज करने का निवेदन किया।

11. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना, उनके तर्कों पर विचार किया है और प्रकरण का बहुत सावधानी और सूक्ष्मता से अध्ययन किया है।

12. पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कि क्या मृतक बनवारी की मृत्यु हत्या के रूप में हुई थी, का निष्कर्ष विचारण न्यायालय ने अ०सा०-12 डॉ. आर.एस. कंवर के बयान के आधार पर सकारात्मक रूप में दिया है, जिन्होंने मृतक बनवारी का पोस्टमार्टम परीक्षण किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.40) को प्रमाणित किया, जिसमें उन्होंने मृतक बनवारी की मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंगों पर आयी चोटों के कारण हेमोरेजिक शॉक और मृत्यु की प्रकृति हत्या बताई है, जो हमारे विचार में, प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य



के आधार पर तथ्य का सही निष्कर्ष है और जो न तो विपरीत है और न ही अभिलेख के विरुद्ध है। अतः हम विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं, यह मानते हुए कि मृतक बनवारी की मृत्यु हत्या के रूप में हुई थी।

13. अब, प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को प्रश्नगत अपराध का अपराधी मानना उचित है ?

14. अपीलार्थियों को उक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए, विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से अ०सा०-6 शत्रुघ्न, अ०सा०-10 संतारा बाई और अ०सा०-11 इतवार सिंह (जो मृतक बनवारी के भाई, मां और पिता हैं) के बयान पर भरोसा किया है, जिन्हें घटना के चक्षुदर्शी साक्षी माना गया है और उनके बयान के आधार पर, अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया है, जिसकी वैधता को अपीलार्थियों ने वर्तमान दो अपीलों में चुनौती दी है।

15. घटना की शुरुआत, जैसा कि अ०सा०-11 इतवार सिंह ने बताया है, यह है कि गांव शांति नगर, बल्गी में, उनके बेटे, मृतक बनवारी द्वारा एक नौधा रामायण कथा का आयोजन किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना दिनांक और समय अर्थात् 25.11.2016 को लगभग 8:00 बजे शाम को, ए-1 मनोज, ए-2 मोनू और ए-3 अजीत अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर मौके बाजार पसरा पर पहुंचे, जहां नौधा रामायण का आयोजन किया जा रहा था, आरोपीगण जूते पहने हुए थे, जिस पर मृतक बनवारी ने आपत्ति जताई और इसके कारण उनके बीच विवाद हुआ, जो हिंसक हो गया और मृतक बनवारी की मृत्यु का कारण बना। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि नौधा रामायण मंडप में, अ०सा०-11 इतवार सिंह को अ०सा०-9 केदार साहू ने घटना के बारे में सूचित किया और फिर अ०सा०-11 इतवार सिंह एक लकड़ी का डंडा लेकर मौके पर पहुंचे और अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अ०सा०-11 इतवार सिंह ने अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) को दो अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर अपने बेटे, मृतक बनवारी पर हमला करते हुए देखा। हालांकि, अ०सा०-11 इतवार सिंह द्वारा घटना दिनांक को



9:30 बजे शाम को दर्ज कराई गई एफआईआर (प्र०पी०-38) में, जो 25.11.2016 को 8:00 बजे शाम को हुई घटना के लगभग 1½ घंटे बाद दर्ज कराई गई थी, उन्होंने केवल यह कहा था कि अ०सा०-9 केदार साहू ने उन्हें सूचित किया था कि उनके बेटे, मृतक बनवारी, पर बाजार पसरा में कुछ लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है और फिर वे तुरंत एक छोटा लकड़ी का डंडा लेकर मौके पर पहुंचे और अपीलार्थियों को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर मौके से भागते हुए देखा। अ०सा०-11 इतवार सिंह ने एफआईआर (प्र०पी०-38) में यह नहीं कहा कि उन्होंने अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) को अपने बेटे, मृतक बनवारी पर हमला करते हुए देखा था। एफआईआर (प्र०पी०-38) को अ०सा०-11 इतवार सिंह ने स्वयं प्रमाणित किया है। इसके बाद, उसी दिन 10:20 बजे शाम को, मार्ग (एक्स.36) दर्ज की गई, जिसे भी अ०सा०-11 इतवार सिंह ने प्रमाणित किया। अपराध विवरण फॉर्म (साइट मैप) विवेचनाकर्ता अधिकारी (अ०सा०-15) द्वारा 26.11.2016 को प्र०पी०-39 के तहत तैयार किया गया और अ०सा०-11 इतवार सिंह ने स्वयं प्रमाणित किया और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि स्पॉट नंबर 2 से, अ०सा०-11 इतवार सिंह ने अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) को घटना स्थल से भागते हुए देखा; स्पॉट नंबर 3 से उनके बेटे, अ०सा०-6 शत्रुघन ने घटना देखी और अपीलार्थियों को घटना स्थल से भागते हुए देखा और, स्पॉट नंबर 4 से, उनकी पत्नी, अ०सा०-10 संतारा बाई ने घटना देखी और घटना स्थल पर दो बिजली के खंभे भी दिखाए गए हैं। नजरी नक्शा (प्र०पी०-12), एक अन्य साइट मैप, पटवारी (अ०सा०-5) द्वारा अ०सा०-11 इतवार सिंह के कहने पर तैयार किया गया और इसमें भी मृतक बनवारी का शव स्पॉट नंबर 1 पर पड़ा हुआ दिखाया गया है और स्पॉट नंबर 2 पर स्पॉट नंबर 1 से 7 मीटर की दूरी पर एक बिजली का खंभा दिखाया गया है, जिसमें बिजली नहीं है। उक्त नजरी नक्शा (प्र०पी०-12) में यह नहीं दिखाया गया है कि किस स्थान से, अ०सा०-11 इतवार सिंह, अ०सा०-6 शत्रुघन और अ०सा०-10 संतारा बाई ने घटना देखी थी।



16. मामले की उक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, अपीलार्थियों की ओर से उठाया गया प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अ०सा०-6 शत्रुघन, अ०सा०-10 संतारा बाई और अ०सा०-11 इतवार सिंह को घटना के चक्षुदर्शी साक्षी मानकर अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) को उक्त अपराधों के लिए दोषसिद्ध ठहराना उचित है ?

17. इस संबंध में, हम पहले अ०सा०-6 शत्रुघन के बयान पर विचार करेंगे, जो मृतक बनवारी के भाई हैं और घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी हैं। हालांकि, अपने बयान के कंडिका-3 में, अ०सा०-6 शत्रुघन ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्होंने अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) और अन्य सह-अभियुक्तों को मृतक पर हमला करते हुए देखा था, लेकिन कंडिका-4 में उन्होंने कहा है कि जब वे और उनकी मां (अ०सा०-10) मौके पर पहुंचे तो उक्त अभियुक्तगण मृतक पर हमला करने के बाद मौके से भाग रहे थे। लेकिन, तथ्य यह है कि चूंकि अ०सा०-6 शत्रुघन घटना के बाद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने घटना के बाद अपीलार्थियों को मौके से भागते हुए देखा था, इसलिए उन्हें रेस गेस्टे गवाह माना जा सकता है और उनका बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत स्वीकार्य है।

18. अ०सा०-10 संतारा बाई, मृतक बनवारी की मां और एक अन्य कथित चक्षुदर्शी साक्षी, ने हालांकि अ०सा०-6 शत्रुघन सिंह के बयान का समर्थन किया है तथा अपने बयान के कंडिका-2 में कहा है कि जब वे और उनके छोटे बेटे (अ०सा०-6) मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) और अन्य सह-अभियुक्तों को ईंट और पत्थर से अपने बेटे, मृतक बनवारी पर हमला करने के बाद मौके से भागते हुए देखा, लेकिन कंडिका-19 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने घटना नहीं देखी थी। इस प्रकार, अ०सा०-10 संतारा बाई, घटना की वास्तविक चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, उन्हें भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के तहत रेस गेस्टे गवाह माना जा सकता है।

19. इस प्रकार, अ०सा०-6 शत्रुघन और अ०सा०-10 संतारा बाई के बयान पर विचार करते हुए, सर्वाधिक, उन्हें रेस गेस्टे की श्रेणी में रखा जा सकता है और हालांकि उनका बयान साक्ष्य अधिनियम



की धारा 6 के तहत स्वीकार्य है और सुसंगत तथ्य है, परंतु बदरुद्दीन रुकोंद्दीन कारपुडे बनाम महाराष्ट्र राज्य और सुखर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, उनका बयान सबसे अधिक साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत स्वीकार्य साक्ष्य और सुसंगत तथ्य होने के बावजूद, बिना किसी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के समर्थन के, उसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।

20. सुखर (उपर्युक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 पर विचार करते हुए यह माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए, उसे या तो मौखिक साक्ष्य से या किसी अन्य परिस्थिति से समर्थित होना चाहिए, और कंडिका 10 और 11 में निम्नलिखित टिप्पणी की :-

"10. उक्त दो मामलों के अनुपात को अ०सा०-2 के साक्ष्य पर लागू करते हुए, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि घायल ने उन्हें बताया कि उनके भतीजे ने उन पर गोली चलाई है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत स्वीकार्य हो जाएगा। इसलिए, हम अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्रीमती गोस्वामी की पहली दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।"

"11. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या यदि बयान स्वीकार्य हो जाता है, तो क्या उस बयान को इतना विश्वसनीय माना जा सकता है कि धारा 307 के तहत दोषसिद्धि उस पर आधारित की जा सके। अ०सा०-2 ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि सुखर, वर्तमान अपीलार्थी और वे लंबे समय से एक-दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण भावना रखते हैं। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में यह भी पता चला कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचे तब तक नक्कल के पास 20 से अधिक लोग इकट्ठा हो चुके थे और फिर भी अभियोजन पक्ष ने अ०सा०-2 को समर्थन देने के लिए उनमें से किसी का भी



परीक्षण नहीं किया कि घायल ने उन्हें क्या बताया था। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा कि नक़ल उन सभी लोगों के सामने अभियुक्त को अपना हमलावर बता रहा था जो इकट्ठा हुए थे, लेकिन यह समझ से परे है कि अभियोजन पक्ष ने उनमें से किसी को भी पेश करने के बजाय केवल अ०सा०-2 को क्यों पेश किया, जो स्वीकार्य रूप से अभियुक्त/अपीलार्थी के प्रति शत्रुतापूर्ण भावना रखते थे। इस परिस्थिति में, अ०सा०-2 का साक्ष्य इतना अकाट्य नहीं माना जा सकता है कि उसके बयान के आधार पर बिना किसी समर्थन के दोषसिद्धि की जा सके। दूसरी ओर गवाह अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण भावना रखते हैं और उनकी प्रतिपरीक्षण में जो कुछ पता चला है, उसके कारण उनके साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले समर्थन की आवश्यकता है। स्वीकार्य रूप से, मौखिक साक्ष्य या किसी अन्य परिस्थिति से एक कण भी समर्थन नहीं है। इस परिस्थिति में, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि अ०सा०-2 के अविश्वसनीय और अस्थिर साक्ष्य के आधार पर बिना किसी समर्थन के अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखा नहीं जा सकता है। हम तदनुसार अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं और उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त करते हैं। जेल में बंद अभियुक्त को तुरंत रिहा किया जाए। अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है।"

21. उपर्युक्त के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि यदि अ०सा०-6 शत्रुघ्न और अ०सा०-10 संतारा बाई को उन गवाहों के रूप में माना जाता है जिन्होंने अपीलार्थियों को मौके से भागते हुए देखा था, लेकिन समर्थन के अभाव में उन्हें केवल रेस गेस्टे गवाह माना जा सकता है और जैसा कि बदरुद्दीन रुक़ौद्दीन कारपुडे (उपर्युक्त) और सुखर (उपर्युक्त) में माना गया है, मौखिक साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के समर्थन के अभाव में दोषसिद्धि को बनाए रखा नहीं जा सकता है, जो कि वर्तमान मामले में नहीं है।



22. अब, जहां तक अ०सा०-11 इतवार सिंह का संबंध है, उन्हें भी विचारण न्यायालय द्वारा घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में माना गया है। अ०सा०-11 इतवार सिंह के बयान को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में विचार करने से पहले, यह ध्यान में रखना होगा कि वे मृतक बनवारी के पिता हैं और इसलिए वे मृतक के संबंधित गवाह हैं, इसलिए उनके बयान को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में बहुत सावधानी और सूक्ष्मता से जांचना होगा। अ०सा०-11 इतवार सिंह के अनुसार, उन्हें अ०सा०-9 केदार साहू ने घटना के बारे में सूचित किया और फिर वो तुरंत एक लकड़ी का डंडा लेकर मौके पर पहुंचे। हालांकि, उक्त गवाह अ०सा०-9 केदार साहू ने अपने बयान में यह नहीं कहा कि उन्होंने अ०सा०-11 इतवार सिंह को घटना के बारे में सूचित किया था। अपने बयान के कंडिका-3 में, अ०सा०-11 इतवार सिंह ने कहा है कि जब वे एक छोटा लकड़ी का डंडा लेकर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) और अन्य सह-अभियुक्तों को मृतक पर हमला करते देखा और जब उन्होंने चिल्लाया तो वे सभी मृतक बनवारी को छोड़कर मौके से भाग गए, जो मौके पर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। अ०सा०-11 इतवार सिंह ने एफआईआर (प्र०पी०-38) दर्ज कराई और प्रमाणित भी किया। अपराध विवरण फॉर्म (प्र०पी०-39) और नजरी नक्शा (प्र०पी०-12), दोनों साइट मैप, अ०सा०-11 इतवार सिंह के कहने पर तैयार किए गए हैं।

23. अ०सा०-11 इतवार सिंह के उक्त बयान को देखते हुए, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्तों द्वारा उठाया गया पहला आपत्ति यह है कि अ०सा०-11 इतवार सिंह ने स्वयं एफआईआर (प्र०पी०-38) दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने केवल यह कहा है कि उन्हें अ०सा०-9 केदार साहू ने सूचित किया कि उनके बेटे, मृतक बनवारी, को बाजार पसरा में कुछ लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है और फिर उन्होंने तुरंत एक छोटा लकड़ी का डंडा लेकर मौके पर पहुंचे और जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) और अन्य सह-अभियुक्तों को घटना स्थल से भागते हुए देखा। हालांकि, अ०सा०-11 इतवार सिंह ने एफआईआर (प्र०पी०-38) में, जो 9:30 बजे शाम को दर्ज



कराई गई थी, जो कि 25.11.2016 को 8:00 बजे शाम को हुई घटना के लगभग 1½ घंटे बाद दर्ज कराई गई थी, यह नहीं कहा कि उन्होंने अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) को मृतक बनवारी पर हमला करते हुए देखा था।

24. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एफआईआर एक पूर्व बयान है जिसका उपयोग, सख्ती से कहें तो, केवल उसके निर्माता को समर्थन या विरोध करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन, महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप, जो मामले की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत सुसंगत हैं और अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता का निर्धारण करने में सुसंगत हैं। इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम कुमार पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में दिया गया निर्णय ध्यान देने योग्य है, जिसके कंडिका-9 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है :-

"9. निस्संदेह, एक एफआईआर एक पूर्व बयान है जिसका उपयोग, सख्ती से कहें तो, केवल उसके निर्माता को समर्थन या विरोध करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन, इस मामले में, यह मृतक लड़के के पिता द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिन्हें 23-3-1970 को 9:15 बजे शाम तक घटना के सभी महत्वपूर्ण तथ्य, जहां तक वे ज्ञात थे, अवश्य बताए गए होंगे। यदि उनकी बेटियों ने अपीलार्थी को हरबिंदर सिंह पर हमला करते हुए देखा था, तो पिता ने निश्चित रूप से एफआईआर में इसका उल्लेख किया होता। हमारा मानना है कि ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप, जो मामले की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत सुसंगत हैं और अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता का निर्धारण करने में सुसंगत हैं।"

25. इसी तरह, सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप ने यह माना कि महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप, जो मामले की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं, साक्ष्य



अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रासंगिक कारक है और अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता का निर्धारण करने में प्रासंगिक है और कंडिका-24 में निम्नलिखित टिप्पणी की :-

"24. निस्संदेह, दर्ज की गई एफआईआर ने सूचक का पूर्व बयान प्रकट किया है जिसका उपयोग केवल उसके निर्माता को समर्थन या विरोध करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी स्थिति में जब सूचक एक ऐसा व्यक्ति है जो तथ्यों को जानने का दावा करता है, और पीड़ित के साथ निकट संबंध भी रखता है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि वह निश्चित रूप से एफआईआर में सभी सुसंगत तथ्यों का उल्लेख करेगा। महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप, जो मामले की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत सुसंगत है और अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता का निर्धारण करने में सुसंगत है। (राम कुमार पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1975 एससी 1026)"

26. इसी तरह, बालका सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप ने कंडिका-10 में निम्नलिखित टिप्पणी की :-

"10. इन परिस्थितियों और ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य के आलोक में, हम स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर हैं कि पांच अपीलार्थियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है और जिस तरह से एफआईआर और इन्क्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई है, वह पांच अपीलार्थियों की अपराध में संलिप्तता पर काफी संदेह पैदा करती है।"

27. वर्तमान मामले में, अ०सा०-11 इतवार सिंह, जो घटना के चक्षुदर्शी साक्षी होने का दावा करते हैं और मृतक के पिता होने के नाते उनसे निकट संबंध रखते हैं, से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे एफआईआर में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करें कि उनके बेटे, मृतक बनवारी, पर अभियुक्तों द्वारा हमला किया गया था, लेकिन उन्होंने एफआईआर (प्र०पी०-38) में इसका उल्लेख नहीं किया, जिसे उन्होंने स्वयं



प्रमाणित किया है। इस प्रकार, एफआईआर (प्र०पी०-38) में यह लोप कि तीन अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) ने मृतक बनवारीपर हमला किया था, एक महत्वपूर्ण लोप है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के तहत सुसंगत तथ्य है।

28. एक अन्य तथ्य जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि घटना लगभग 8:00 बजे शाम को हुई थी। अपराध विवरण फॉर्म (प्र०पी०-39) के अनुसार, घटना स्थल के पास दो बिजली के खंभे थे। हालांकि, अ०सा०-9 केदार साहू ने अपने बयान के कंडिका-13 में कहा है कि मौके पर बिजली नहीं थी बल्कि अंधेरा था। इसी तरह, अ०सा०-11 इतवार सिंह ने भी अपने बयान के कंडिका-33 में स्वीकार किया है कि घटना के समय बाहर अंधेरा हो गया था और उन्होंने यह नहीं बताया कि मौके पर दो बिजली के खंभों से रोशनी आ रही थी या नहीं। इस प्रकार, मौके पर अंधेरे के कारण, अ०सा०-11 इतवार सिंह के लिए अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) को कोई भी कार्य करते हुए देखना संभव नहीं था। इसके अलावा, अ०सा०-9 केदार साहू, जो मुख्य गवाह हैं और कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले अ०सा०-11 इतवार सिंह को घटना के बारे में सूचित किया था, ने अपने बयान के कंडिका-4 में कहा है कि जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तब तक मृतक बनवारी पहले से ही मौके पर मृत पड़ा हुआ था। उनका प्रतिपरीक्षण किया गया लेकिन उनसे यह नहीं निकाला जा सका कि उन्होंने अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) को मृतक बनवारी पर हमला करते हुए देखा था और उन्होंने यह तथ्य अ०सा०-11 इतवार सिंह को सूचित किया था।

29. सर्वोच्च न्यायालय ने शिंंगारा सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में यह माना कि साइट प्लान में आवश्यक विशेषताओं को दिखाने में लोप जांच अधिकारी की ओर से एक चूक है और कंडिका-29 में निम्नलिखित टिप्पणी की :-

"29. गुरदीप सिंह के आंगन में चारपाइयों के अस्तित्व, एक साइकिल के अस्तित्व, और एक सीढ़ी के अस्तित्व के संबंध में प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्य काफी असंतोषजनक है और



यह गंभीर संदेह पैदा करता है कि क्या अभियोजन पक्ष के गवाह सच बोल रहे हैं। दोनों साइट प्लान में उन्हें दिखाने में छूट जाना जांच एजेंसी की ओर से केवल एक चूक नहीं माना जा सकता है। वास्तव में, जहां तक साइट प्लान का संबंध है, अभियोजन पक्ष का मामला है कि उन्हें अ०सा०-5 और एक अन्य गवाह की उपस्थिति में और उनके इशारे पर तैयार किया गया था। हालांकि, अ०सा०-5 ने यह नकार दिया कि प्लान उनकी उपस्थिति में तैयार किए गए थे। अन्य गवाह का परीक्षण नहीं किया गया।"

30. इसी तरह, बलदेव सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि साइट प्लान एक औपचारिकता मात्र नहीं है और यह साइट के महत्व को उजागर करने के लिए एक आवश्यक विशेषता है और निम्नलिखित टिप्पणी की :-

"13...अरविंद खरे द्वारा तैयार किया गया साइट प्लान साइकिलों या झाड़ियों की उपस्थिति को नहीं दिखाता है, हालांकि साइट प्लान में उस स्थान का उल्लेख किया गया है जहां से दो गवाहों ने घटना देखने का दावा किया है।"

31. सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मुकदमों के दिशानिर्देश, अपर्याप्तताओं और कमियों के संबंध में, इन रे बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, कंडिका-3 में, साइट प्लान के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए :-

"3. सीन माहजार/ स्पॉट पंचनामा

i. घटना स्थल का एक साइट प्लान जांच अधिकारी द्वारा सीन माहजार या स्पॉट पंचनामा में संलग्न किया जाएगा।

ii. साइट प्लान जांच अधिकारी द्वारा हाथ से तैयार किया जाएगा, और इसमें निम्नलिखित समाविष्ट किया जाएगा।

a. घटना स्थल,



- b. वह स्थान जहां शव (या शव) पाया गया/पाए गए,
- c. वह स्थान जहां सामग्री प्रदर्शनी और/या हथियार,
- d. खून के धब्बे और/या शारीरिक तरल पदार्थ गिरे,
- e. वह स्थान जहां गोली के खोल, यदि कोई हो, पाए गए या उनका प्रभाव हुआ,
- f. रोशनी का स्रोत, यदि कोई हो, और
- g. आसपास की प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाएं या विशेषताएं जैसे दीवारें, गड्ढे, बाड़, पेड़/झाड़ियाँ, यदि कोई हो, और संरचनाओं की ऊंचाई और उनका स्थान ।

iii. जांच अधिकारी द्वारा इस स्केच को तैयार करने के बाद, यदि उपलब्ध हो तो पुलिस ड्राफ्ट्समैन द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत या नामित किसी अन्य ड्राफ्ट्समैन द्वारा, स्केल्ड साइट प्लान तैयार किया जाएगा, जो स्पॉट का दौरा करने के बाद स्केल्ड साइट प्लान तैयार करेगा ।

iv. माहजार या पंचनामा में प्रासंगिक विवरण को उक्त साइट प्लान में चिह्नित और सहसंबद्ध किया जाएगा ।"

32. अपराध विवरण फॉर्म (प्र०पी०-39) यानी घटना स्थल का साइट प्लान, जिसे अ०सा०-11 इतवार सिंह ने प्रमाणित किया और जांच अधिकारी (अ०सा०-15) द्वारा उनकी उपस्थिति में तैयार किया गया, में यह उल्लेख किया गया है कि स्पॉट नंबर 2 से, अ०सा०-11 इतवार सिंह ने अपीलार्थियों को परिसर से भागते हुए देखा था । इस प्रकार, अपराध विवरण फॉर्म (प्र०पी०-39) के अनुसार, अ०सा०-11 इतवार सिंह ने केवल अपीलार्थियों (ए-1, ए-2 और ए-3) को परिसर से भागते हुए देखा था और उन्होंने अपीलार्थियों को मृतक पर हमला करते हुए नहीं देखा था । एक अन्य साइट-मैप यानी नजरी नक्शा (प्र०पी०-12) से, जिसे पटवारी (अ०सा०-5) द्वारा अ०सा०-11 इतवार सिंह के कहने पर तैयार किया गया था, यह भी प्रतिबिंबित नहीं होता है कि अ०सा०-11 इतवार सिंह किस स्थान पर खड़े थे और उन्होंने अपीलार्थियों को मृतक को चोट पहुंचाते हुए देखा था। इस प्रकार, दोनों साइट मैप



(प्र०पी०-39 और पी०-12) से भी यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होता है कि अ०सा०-11 इतवार सिंह ने अपीलार्थियों को अपने बेटे, मृतक बनवारी पर हमला करते हुए देखा था ।

33. इसके अलावा, अ०सा०-1 संतोषी बाई, मृतक बनवारी की पत्नी, के बयान के अनुसार, घटना के समय वे नौधा रामायण कार्यक्रम में थी और अपने पति के बारे में पूछताछ करने के बाद जब वे मौके पर पहुंचीं तो उन्होंने अपने पति, मृतक बनवारी का क्षत-विक्षत शव वहां पड़ा हुआ पाया और फिर वे उस मंडप की ओर भार्गी जहां नौधा रामायण चल रहा था और वहां मौजूद लोगों को घटना के बारे में सूचित किया और फिर जब वे फिर से मौके पर पहुंचीं तो उन्होंने ए-1 मनोज और ए-2 मोनू को अपने पति के शव के पास खड़े हुए पाया और जहां ए-1 मनोज और ए-2 मोनू ने उनके सामने मृतक को स्वयं मारने का गैर-न्यायिक संस्वीकृति दी । हालांकि, यह विश्वास से परे है कि जिन लोगों पर मृतक को मारने का आरोप लगाया गया था, वे मृतक की पत्नी के सामने उसके पति को मारने की गैर-न्यायिक संस्वीकृति देंगे । इस प्रकार, अ०सा०-1 संतोषी बाई के सामने ए-1 मनोज और ए-2 मोनू द्वारा दी गई गैर-न्यायिक संस्वीकृति को विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं माना जा सकता है ।

34. हालांकि, एफएसएल रिपोर्ट (अ०सा०-66) में, मौके से जप्त की गई खून से सनी मिट्टी (एक्स. ए), पत्थर (एक्स. सी) और ईंटों (एक्स. डी) पर; टी-शर्ट (एक्स. ई), शर्ट (एक्स. एफ) और जैकेट (एक्स. जी) पर और मृतक बनवारी के जूते (एक्स. एन) और जींस पैट (एक्स. ओ) पर भी मानव रक्त पाया गया; ए-1 मनोज की शर्ट (एक्स. एच) पर, ए-2 मोनू उर्फ गजपति की शर्ट (एक्स. आई) पर, उनकी पैट (एक्स. जे) को छोड़कर, जिसमें रक्त विघटित पाया गया, और ए-3 अजीत की शर्ट (एक्स. के) और पूरी पैट (एक्स. एल) पर भी मानव रक्त पाया गया और, सीरोलॉजी परीक्षण में, मृतक बनवारी की टी-शर्ट (एक्स. ई) और ए-3 अजीत की पूरी पैट (एक्स. एल) पर 'ओ' ब्लड ग्रुप पाया गया, जबकि अन्य वस्तुओं पर ब्लड ग्रुप के परिणाम अनिर्णायक पाए गए । हालांकि, जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है कि उक्त वस्तुओं को 26.11.2016 को जप्त किया गया था लेकिन उन्हें 9.2.2017 को प्र०पी०-9 के तहत एस पी



द्वारा एफएसएल को फोरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा या, जो उनके जप्त होने के दो महीने से अधिक समय बाद था, और जिन्हें एफएसएल कार्यालय द्वारा 10.2.2017 को प्राप्त किया गया, जैसा कि रसीद (प्र०पी०-8) से पता चलता है। रिकॉर्ड पर कोई कानूनी साक्ष्य नहीं है कि जप्त की गई वस्तुओं को उक्त अवधि के दौरान सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था और पुलिस के पास बिना किसी कारण के दो महीने से अधिक समय तक जप्त की गई वस्तुओं को रखने का कोई कारण नहीं दिखाया गया है और इसलिए जप्त की गई वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी, एफएसएल रिपोर्ट एक संपोषणीय साक्ष्य है, लेकिन एक स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है और जब तक अभियुक्तों से जप्त की गई वस्तुओं पर पाए गए रक्त को हत्या से जोड़ा नहीं जाता है, केवल एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर, जो एक संपोषणीय साक्ष्य है, अभियुक्तों की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।

35. निष्कर्षतः, उपर्युक्त साक्ष्य की चर्चा के आलोक में, हम सुरक्षित रूप से यह मान सकते हैं कि अ०सा०-11 इतवार सिंह घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अ०सा०-9 केदार साहू ने घटना के बारे में सूचित किया था और उक्त गवाह (अ०सा०-9) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और यह नहीं कहा है कि उन्होंने अ०सा०-11 इतवार सिंह को घटना के बारे में सूचित किया था। इसके अलावा, अ०सा०-9 केदार साहू और अ०सा०-11 इतवार सिंह के बयान के अनुसार, घटना स्थल पर अंधेरा था और इसलिए अ०सा०-11 इतवार सिंह के लिए अपीलार्थियों को मृतक पर हमला करते हुए देखना संभव नहीं था। इसके अलावा, साइट मैप (अ०सा०-39) केवल यह सुझाव देता है कि अ०सा०-11 इतवार सिंह ने अपीलार्थियों को घटना स्थल से भागते हुए देखा था। अ०सा०-11 इतवार सिंह ने एफआईआर (प्र०पी०-38) दर्ज कराते समय इस तथ्य का लोप किया कि उन्होंने अपीलार्थियों को मृतक पर हमला करते हुए देखा था, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत सुसंगत तथ्य है। इसी तरह, अ०सा०-6 शत्रुघन और अ०सा०-10 संतारा बाई बदरुद्दीन रुकोंद्दीन कारपुडे (उपर्युक्त) और सुखर (उपर्युक्त) के आलोक में रेस गेस्टे गवाह हैं, लेकिन उनके बयान का समर्थन करने वाला कोई समर्थक



साक्ष्य नहीं है, सिवाय एफएसएल रिपोर्ट के, जिसमें हालांकि अपीलार्थियों से जप्त की गई कपड़ों पर मानव रक्त पाया गया है, लेकिन जप्त की गई वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी की संभावना है, क्योंकि उन्हें 26.11.2016 को जप्त किया गया था और उनके जप्त होने के दो महीने से अधिक समय बाद 9.2.2017 को फोरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा गया और एफएसएल कार्यालय द्वारा 10.2.2017 को प्राप्त किया गया, और इसलिए केवल एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर, जो एक संपोषणीय साक्ष्य है, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बनाए रखना कठिन है।

36. तदनुसार, हम विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.2.2018 को पारित निर्णय द्वारा तीनों अपीलार्थियों ए-1 मनोज, ए-2 मोनू और ए-3 अजीत को भा०द०सं० की धारा 147, 148 और 302/149 के तहत दर्ज की गई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त करते हैं और उन्हें उक्त अपराधों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करते हैं। वे 26.11.2016 से जेल में हैं। हम उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश देते हैं, यदि उनकी अभिरक्षा किसी अन्य अपराध में आवश्यक नहीं है।

37. परिणामस्वरूप, दोनों दंड अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

38. इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख के साथ तुरंत विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए और संबंधित जेल अधीक्षक को भी इस निर्णय की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही, यदि कोई हो, के लिए शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

सही/-  
(संजय के० अग्रवाल)  
न्यायमूर्ति

सही/-  
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)  
न्यायमूर्ति



**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

